तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विश्वेश्वर नाडोला बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 60/2019	
29.05.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विश्वेश्वर नाडोला पता माली थलियों का बास, होटल सिटी पेलेस के पीछे, नई सड़क, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.03..19 में उसके द्वारा (1) जोधपुर जिले में जालोरीगेट जोधपुर में मुसलमानों की ईदगाह हेतु आजादी से पहले सरकार द्वारा भूमि आंवटित की गई थी, जिसके आवंटन की पत्रावली जेडीए जोधपुर व नगर निगम द्वारा अपने कार्यालय में नहीं होना बताया व अवगत कराया कि भूमि आवंटन कलेक्टर साहब द्वारा किया गया था इसलिये पत्रावली कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। अतः जालोरीगेट ईदगाह जोधपुर को भूमि आवंटन की पत्रावली की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिर्पोट प्रस्तुत नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	